

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,  
उ०प्र० इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 19 दिसम्बर, 2013

विषय:- जनहित गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत विभाग से सम्बन्धित सेवाओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2183ई-2/तेरह-2013-81/12 दिनांक 23-9-13 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग उ०प्र० शासन के अर्द्ध शा. पत्र संख्या-486/91-2013 दिनांक 6-12-13 तथा उ०प्र० जनहित गारन्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत समस्त विभागों की सेवाओं को आच्छादित किये जाने से सम्बन्धित लोक सेवा प्रबन्धन विभाग की अधिसूचना दिनांक 27-11-13 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त में उल्लिखित आबकारी विभाग से सम्बन्धित सेवाओं को उक्त अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अनुपालन किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रगति रिपोर्ट संलग्न -निर्धारित प्रपत्र 1,2 व 3 पर शासन को प्रत्येक माह की 03 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

57-255

AE-20/12/13  
20-12-13

उ०प्र० शासन  
सं० शासन  
मुख्यालय

भवदीय,

(सुनील कुमार पाण्डेय)

अनु सचिव।

OCC